

टिप्पणी 1 : निगमित सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) को ईस्टर्न डिविजन ऑफ कोयला माइन्स प्राधिकरण लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पूर्व नाम) के साथ निहित आस्तियाँ एवं देयताओं का अधिग्रहण करते हुए 01 नवंबर, 1975 को यथा कोल इंडिया लिमिटेड की 100% अनुसूची यथा एक निजी लिमिटेड कंपनी निगमित की गई थी। कंपनी प्रधानतः कोयला के उत्पादन एवं विक्रय के कारबार में संलग्न है।

कंपनी भारत में अधिबसित है और इसका पंजीकृत कार्यालय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, पोस्ट- डिसेम्बर, जिला- पश्चिम बर्दमान, पिन - 713333 में है।

टिप्पणी-2- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरणी की निर्मिति का आधार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 ("अधिनियम") एवं भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015) के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल या कंपनी) की वित्तीय विवरणी निर्मिति की गई है।

निम्नलिखित के सिवा, वित्तीय विवरणी मापन की ऐतिहासिक लागत के आधार पर विनिर्मित किए गए हैं:-

- उचित मूल्य पर मापित कतिपय आस्तियाँ एवं देयताएँ (उद्धरण 2.14 में वित्तीय लिखतों पर लेखांकन नीति में संदर्भित);
- परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ - उचित मूल्य पर मापित योजनागत आस्तियाँ;
- लागत पर वस्तुसूची या निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो (उद्धरण सं. 2.20 में लेखांकन नीति में संदर्भित)।

2.1.1 राशियों को पूर्णांकन

जब तक कि अन्यथा उपदर्शित नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणी में राशियों को दशमलव के दो अंकों तक "रुपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में उपदर्शित किए गए हैं।

2.2 चालू एवं अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी चालू एवं अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में आस्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा आस्ति को यथा चालू मानी जाती है जब -

- अ. यह अपने सामान्य परिचालनात्मक चक्र में आस्ति की प्राप्ति की प्रत्याशा, अथवा इन्हें विक्रय या उपभोग करने का आशय, रखती हो;
- आ. आस्ति को प्रधानतः व्यवसाय के प्रयोजनार्थ धारण करती हो;
- इ. रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह महीने के अंदर आस्ति की प्राप्ति की प्रत्याशा रखती हो, अथवा
- ई. आस्ति नकदी या नकदी समतुल्य है (भारतीय लेखांकन मानक 7 में यथा परिभाषित) जबतक कि प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् न्यूनातिन्यून बारह माह के लिए देयता का निपटान हेतु आस्ति का विनिमय या प्रयोग होने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अन्य सभी आस्तियाँ यथा अप्रचलित वर्गीकृत किए जाते हैं।

कंपनी द्वारा किसी देयता को यथा चालू मानी जाती है जब -

- अ. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की प्रत्याशा रखती हो;
- आ. देयता को प्रधानतः व्यवसाय के प्रयोजनार्थ धारण करती हो;
- इ. प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् बारह माह के अंदर देयता को निपटारित किए जाने के लिए देय हो, अथवा
- ई. प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् न्यूनातिन्यून बारह माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का अशर्त अधिकार न हो। किसी देयता के निबंधन जो, प्रतिपक्ष के विकल्प पर, साम्या लिखतों के निर्गमन द्वारा इसके निपटारण के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

सभी अन्य देयताओं को यथा अप्रचलित वर्गीकृत किए गए हैं।



2.3.1 राजस्व का निर्धारण

उपभोक्ताओं संग संविदाओं से राजस्व

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को निर्धारित किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर अंतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को प्रतिबिंबित करती है जिसके लिए कंपनी उन माल या सेवाओं के लिए विनियम में हकदारिता की प्रत्याशा करती है। कंपनी ने साधारणतयः निश्चित किया है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का एक सिद्धांत है क्योंकि इसे ग्राहक को अंतरित करने से पूर्व यह माल या सेवाओं को प्रारूपिकतया नियंत्रित रखती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच कदमों का प्रयोग करते हुए उपयोजित किया जाता है:

कदम 1- संविदा को परिलक्षित करना :

बिक्री ग्राहक के साथ संविदा के लिए कंपनी केवल तब जवाबदेह होती है जब निम्नलिखित समस्त मानदंड पूर्ण होते हैं :

- अ. संविदा के लिए पक्षकारों ने संविदा को अनुमोदित किया हो और अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध हों;
- आ. कंपनी माल या सेवाएँ प्रत्येक पक्षकार के अधिकारों को हस्तांतरित किए जाने को परिलक्षित कर सकती हो;
- इ. कंपनी माल या सेवाओं के लिए संदाय निबंधनों को अंतरित किए जाने को परिलक्षित कर सकती हो;
- ई. संविदा में वाणिज्यिक तत्व (उदाहरणार्थ संविदा के परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्यत नकदी प्रवाह के जोखिम, कालन या राशि में परिवर्तन प्रत्याशित की जाती है) हो; और
- उ. यह अधिसंभाव्य है कि कंपनी माल और सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित किया जाएगा के विनियम में हकदारिता रखेगी के प्रतिफलों का संग्रहण करेगी। प्रतिफल की राशि जिसके लिए कंपनी यदि प्रतिफल परिवर्तनशील हो संविदा में अभिकथित कीमत से कम हो सकती है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायतें, बट्टे, रिबेट, धन-वापसी, साख या प्रोत्साहन की हकदारिता, कार्य-निष्पादन बोनस, या समरूप मदें प्रस्तावित कर सकती है में हकदारिता रखेगी।

संविदाओं का संयोजन

कंपनी दो या अधिक संविदाओं को उसी ग्राहक (या ग्राहक के संबद्ध पक्षकारों) के साथ उसी समय या उसके निकट संयोजित करती है और संविदाओं यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पूर्ण होते हैं को यथा एकल संविदा लेखा-जोखा देती है:

- अ. संविदाओं को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ यथा एक पैकेज परक्रमामित की जाती हो;
- आ. कीमत या अन्य संविदा के कार्य-निष्पादन पर एक संविदा में प्रतिफल की राशि संदाय किया जाना है निर्भर करती हो; या
- इ. संविदाओं में माल या सेवाएँ देने का वचन दिया हुआ हो (अथवा प्रत्येक संविदा में माल या सेवाएँ देने का वचन दिया हुआ हो) का एक एकल कार्य-निष्पादन दायित्व हो।

संविदा उपांतरण

संविदा उपांतरण यथा पृथक संविदा के लिए कंपनी जिम्मेदार होती है यदि निम्नलिखित दोनों दशाएँ विद्यमान रहती हैं:

- अ. वचनबद्धित माल और सेवाएँ जो सुस्पष्ट है के परिवर्धन के कारण संविदा की व्याप्ति में वृद्धि होती हो और
- आ. प्रतिफल की राशि के खाते से संविदा की कीमत में वृद्धि होती है जो कंपनी की वचनबद्धित अतिरिक्त माल या सेवाओं की और उस कीमत का कोई समुचित समायोजनों को विशिष्ट संविदा की परिस्थितियों को परावर्तित करने के लिए एकल बिक्री कीमत को परावर्तित करती हो।

कदम 2 : कार्य-निष्पादन दायित्वों को परिलक्षित करना:

संविदा के प्रारंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ संविदा में वचनबद्धित माल या सेवाओं को निर्धारित करती है और ग्राहक को हस्तांतरण करने के लिए प्रत्येक वचन यथा एक कार्य-निष्पादन दायित्व परिलक्षित करती है या तो :

- अ. माल या सेवा (अथवा माल या सेवाओं का एक बंडल) जो विशिष्ट है; या
- आ. विशिष्ट माल या सेवाओं की एक श्रृंखला जो सारतः समान है और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का वही तरीका है।

कदम 3 : लेनदेन कीमत का अवधारण

लेनदेन कीमत को अवधारित करने के लिए कंपनी संविदा के निबंधनों और इसकी ग्राहकीय कारबार परिपाटियों का विचार करती है। तीसरे पक्षकारों की ओर से संगृहीत राशि को अपवर्जित करते हुए, लेनदेन कीमत प्रतिफल की राशि होती है जिसके लिए ग्राहक वचनबद्धित माल और सेवाओं के हस्तांतरित करने के लिए विनियम में कंपनी हकदारी की प्रत्याशा करती हो। ग्राहक के साथ संविदा में वचनबद्धित प्रतिफल में नियत राशियों, परिवर्तनशील राशियों, या दोनों, को समाविष्ट कर सकती है :

लेनदेन कीमत को निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित समस्त परिणामों पर विचार करती है :

- क. परिवर्ती प्रतिफल ;
- ख. परिवर्ती प्रतिफल के प्राक्कलनों को आबद्ध करना;
- ग. महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का अस्तित्व;
- घ. गैर-नकदी प्रतिफल;
- ङ. ग्राहक को समुचित संदेय।

बड़ा, रिबेट, धन-वापसी, साख, कीमत रियायतें, प्रोत्साहन, कार्य-निष्पादन बोनस, या अन्य समरूप मदों के कारण प्रतिफल की राशि परिवर्तित हो सकती है। वचनबद्धित प्रतिफल परिवर्तित भी हो सकती है यदि प्रतिफल के लिए कंपनी की हकदारी भविष्यत् घटनाओं के संयोग या असंयोग पर समाश्रित है।

कुछ संविदाओं में, शास्त्रियाँ विनिर्दिष्ट हैं। ऐसी दशाओं में, संविदा के सार के अनुसार शास्त्रियाँ निर्धारित होती हैं। जहाँ लेनदेन कीमत के अवधारण में शास्त्रियाँ अन्तर्निहित हैं, यह परिवर्ती प्रतिफल के हिस्से का विनिर्माण करती है।

कंपनी लेनदेन कीमत में केवल उस सीमा तक प्राक्कलित परिवर्ती प्रतिफल की किंचित या सभी राशियों को समाविष्ट करती है जिसकी अत्यंत अधिसंभाव्यता है कि संचयी राजस्व की निर्धारित राशि में एक महत्वपूर्ण उत्क्रमण नहीं होगा जब परिवर्ती प्रतिफल से सहयुक्त अनिश्चितता को तत्पश्चात् संकल्पित किया जाता है।

एक विशिष्ट वित्तीय लिखत के प्रभाव के लिए कंपनी वचनबद्धित प्रतिफल की राशियों को समायोजित नहीं करती है यदि यह प्रत्याशित है कि, संविदा आरंभ में, जब एक ग्राहक को वचनबद्धित माल या सेवा हस्तांतरित करती है और जब ग्राहक उस माल या सेवा के लिए संदाय करता है के मध्य की अवधि एक साल या उससे कम होगी।

कंपनी एक प्रतिदाय देयता को निर्धारित करती है यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल का कुछ या संपूर्ण प्रतिदाय की प्रत्याशा करती है। प्राप्त (प्राप्य) प्रतिफल की राशि पर प्रतिदाय देयता मापित की जाती है जिसके लिए कंपनी की हकदारिता (अर्थात् लेनदेन कीमत में राशि समाविष्ट नहीं है) अप्रत्याशित है। परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर प्रतिदाय देयता (और लेनदेन कीमत में तत्संबंधी परिवर्तन, और फलतः, संविदा देयता) को अद्यतन किया जाता है।

संविदा आरंभ होने के पश्चात्, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन जो प्रतिफल की राशि को परिवर्तित करती है सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन कीमत परिवर्तित हो सकती है जिसके लिए कंपनी वचनबद्धित माल या सेवाओं के विनियम में हकदार होने की प्रत्याशा करती है।

कदम 4 : लेनदेन कीमत का विनिधान

राशि जो प्रतिफल की राशि को दर्शाता है जिसको कंपनी ग्राहकों को वचनबद्धित माल या सेवाओं के हस्तांतरित करने के लिए विनियम में हकदारिता की प्रत्याशा करती है में कंपनी के लिए लेन-देन कीमत के विनिधान करते समय उद्देश्य प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व (या सुभिन्न माल या सेवा) को लेने-देन कीमत विनिधान करना है।

एक सापेक्ष एकल आधारित विक्रय कीमत पर प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व को लेनदेन विनिधान करने के लिए, कंपनी संविदा के आरंभ में संविदा में प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व में अन्तर्निहित सुभिन्न माल या सेवा का एकल विक्रय कीमत अवधारित करती है और उन एकल विक्रय कीमतों को अनुपाततः लेनदेन कीमत में विनिधान करती है।

कदम 5 : राजस्व निर्धारण :

कंपनी राजस्व निर्धारण करती है जब (या यथा) कंपनी किसी ग्राहक को वचनबद्धित माल या सेवा के हस्तांतरण द्वारा कार्य-निष्पादन दायित्व का निर्वहन करती है। कोई माल या सेवा हस्तांतरित किया जाता है जब (या यथा) ग्राहक उस माल या सेवा का नियंत्रण अभिप्राप्त करता है।



कंपनी समय के साथ किसी माल या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और, फलतः, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से कोई एक पूर्ण होता है, समय के साथ किसी कार्य-निष्पादन दायित्व का निर्वहन और राजस्व निर्धारण करती है :

- अ. कंपनी के कार्य-निष्पादन यथा कंपनी कार्य-निष्पादन करती है द्वारा ग्राहक को उपबंधित प्रसुविधाओं का एक साथ प्राप्ति और उसका उपभोग करती हो;
- आ. कंपनी का कार्य-निष्पादन आस्ति को सृजित या में संवृद्धि करती हो जिसे ग्राहक यथा आस्तियों को सृजित या में संवृद्धि किया जाता है को नियंत्रित करता है;
- इ. कंपनी का कार्य-निष्पादन कंपनी के लिए किसी वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास नियत तिथि तक पूर्ण कार्य-निष्पादन के संदाय का प्रवर्तनीय अधिकार होता है।

समय के साथ निर्वाहित प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए, कंपनी समय के साथ कार्य-निष्पादन दायित्व के पूर्ण निर्वहन की प्रगति के मापन द्वारा राजस्व निर्धारण करती है।

कंपनी समय के साथ निर्वाहित प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए प्रगति मापन का एकल विधि उपयोजित करती है और कंपनी समरूप कार्य-निष्पादन दायित्वों एवं समरूप परिस्थितियों में उस विधि का निरंतर उपयोजन करती है। प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर, समय के साथ पूर्णतः निर्वाहित कार्य-निष्पादन दायित्व की अपनी प्रगति को पुनःमापित करती है।

कंपनी, संविदा के अधीन वचनबद्धित शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित मालों एवं सेवाओं के ग्राहक के लिए प्रत्यक्ष मापन के मूल्य के आधार पर राजस्व निर्धारण करने के लिए उत्पादन विधियों का उपयोजन करती है। विधियों यथा समय पर पूर्ण कार्य-निष्पादन का सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, तथ्यशुदा हासिल, व्यपगत समय तथा उत्पादित इकाइयों या परिदत्त इकाइयों को निर्गत विधियों में समाविष्ट करती हैं।

समय के साथ परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व के परिणामों में किसी तरह के परिवर्तन को परावर्तित करने के लिए अपने अध्युपायों को अद्यतन करती है। भारतीय लेखांकन मानक सं. 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलन एवं त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार कंपनी की प्रगति के अध्युपायों में ऐसे परिवर्तनों को लेखांकन प्राक्कलन में यथा परिवर्तन हिसाब में लिया जाता है।

कंपनी समय के साथ तुष्ट कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व निर्धारित करती है तभी कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व के पूर्ण तुष्टिकरण के लिए अपने प्रगति को युक्तियुक्त रूप से मापन कर सकती है। जब (या जैसे) कार्य-निष्पादन दायित्व तुष्ट हो जाती है तब कंपनी लेनदेन कीमत की राशि को यथा राजस्व निर्धारित करती है जिसमें परिवर्ती प्रतिफल के प्राक्कलनों जो कि निरुद्ध किए जाते हैं अपवर्जित होती है जिन्हें उस कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित किया जाता है।

यदि कोई कार्य-निष्पादन दायित्व समय के साथ तुष्ट नहीं होती है तो कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व को एक समय सीमा में तुष्ट करती है। समय सीमा जिसपर एक ग्राहक वचनबद्धित माल या सेवाओं के नियंत्रण की अभिप्राप्ति करता है को अवधारित करने के लिए, कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के सूचकों को, जो निम्नलिखित को समाविष्ट करती है, लेकिन असीमित हैं, निर्धारण करती है :

- अ. कंपनी के पास माल या सेवा के भुगतान का सम्प्रति अधिकार होता है;
- आ. ग्राहक के पास माल या सेवा का विधिक हकधारिता होती है;
- इ. कंपनी ने माल या सेवा के वास्तविक दखल को हस्तांतरित किया है;
- ई. ग्राहक के पास माल या सेवा के स्वामित्व का विशिष्ट जोखिम और पारिश्रमिक होता है;
- उ. ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार किया है।

जब संविदा के किसी भी पक्षकार ने कार्य-निष्पादन किया है तो कंपनी के कार्य-निष्पादन और ग्राहक को संदाय के बीच के संबंधों पर निर्भर होते हुए, कंपनी संविदा को तुलन पत्र में यथा संविदात्मक आस्ति या संविदात्मक देयता प्रस्तुत करती है। कंपनी पृथक्तः प्रतिफल के लिए किसी भी अशर्त अधिकारों को यथा प्राप्य राशियाँ प्रस्तुत करती है।

संविदात्मक आस्तियाँ :

संविदात्मक आस्ति ग्राहक को हस्तांतरित माल और सेवाओं के लिए विनिमय में प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी प्रतिफल के संदाय के पूर्व या बकाया संदाय के पूर्व ग्राहक को माल या सेवाओं के हस्तांतरण द्वारा कार्य-निष्पादित करती है तो अर्जित प्रतिफल जो कि सशर्त होती है के लिए संविदा आस्ति निर्धारित की जाती है।

व्यवसाय प्राप्य :

प्राप्य राशियाँ प्रतिफल राशि जो अशर्त होती है के लिए कंपनी के अधिकार को प्रदर्शित करती है (अर्थात्, प्रतिफल का संदाय देय है से पूर्व केवल समय का अबाध रूप अपेक्षित होती है)।

संविदात्मक देयताएँ :

संविदात्मक देयता एक ग्राहक को माल और सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए ग्राहक से कंपनी ने प्रतिफल (या प्रतिफल राशि देय हो) प्राप्त किया है। यदि कंपनी ने ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करता है के पूर्व ग्राहक प्रतिफल को संदाय करता है तो संविदा देयता निर्धारित की जाती है जब संदाय किया जाता है या देय रहता है (जो भी पहले हो)। संविदात्मक देयताओं को यथा राजस्व निर्धारित की जाती है जब कंपनी संविदा के अधीन कार्य-निष्पादन करती है।

2.3.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से ब्याज आय निर्धारित किया जाता है।

2.3.3 लाभांश

निवेशों से लाभांश आय तब निर्धारित किया जाता है जब संदाय की प्राप्ति का अधिकार स्थापित किया जाता है।

2.3.4 अन्य दावें

अन्य दावों (उपभोक्ताओं से विलंब वसूली पर ब्याज सहित) को तब हिसाब दिया जाता है जब वसूली में निश्चितता हो और स्थिरता से मापन किया जा सकता हो।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान निर्धारित नहीं किए जाते हैं जब तक युक्तियुक्त आश्वासन ना हो कि कंपनी उनके साथ संलग्न निबंधनों का अनुपालन करेगी और कि युक्तियुक्त निश्चितता है कि अनुदान प्राप्त किए जाएंगे।

सरकारी अनुदानों को अवधि से अधिक सुनियोजित आधार पर लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है जिसमें कंपनी यथा संबद्ध लागतों के व्यय को निर्धारित करती है जिसके लिए अनुदानों को प्रतिकर देना आशयित किया जाता है।

अनुदान यथा आस्थगित आय की स्थापना करके आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है और आस्ति के उपभोजित व्यवहार के समय सुनियोजित आधार पर लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् आस्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अधीन लाभ-हानि विवरणी के भागरूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता जो पूर्व में उपगत व्ययों या हानियों के लिए या बिना भविष्यत् संबंधी लागतों के साथ कंपनी को तत्काल वित्तीय आलम्ब प्रदान करने के उद्देश्य के लिए यथा प्रतिकर प्राप्य बनता है, को अवधि के लाभ या हानि में निर्धारित किया जाता है जिसमें यह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदानों अथवा संप्रवर्तक के अभिदाय प्रकृति की अनुदानों को प्रत्यक्षतः "आरक्षित पूँजी" में निर्धारित होने चाहिए जो "शेयरधारकों की निधि" का अंश है।

2.5 पट्टा

संविदा एक पट्टा है या को अंतर्विष्ट करता है यदि संविदा प्रतिफल के विनियम में एक अवधि के लिए परिलक्षित आस्ति के उपभोग के नियंत्रण के अधिकार को प्रवहित करता है।

2.5.1 कंपनी यथा एक पट्टेदार

तिथि प्रारंभ होने पर, एक पट्टेदार लागत पर आस्ति के उपभोग का अधिकार और पट्टा संदायों जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए अप्रदत्त है के वर्तमान मूल्य पर पट्टाधृति देयता निर्धारित करना चाहिए जबतक कि पट्टा अवधि 12 महीने या इससे कम हो या अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम है।

तत्पश्चात्, लागत प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए आस्ति अधिकार के उपयोग का मापन किया जाता है यतः, पट्टा देयता पर ब्याज को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि में वृद्धि, पट्टा पर हुए संदाय को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि में कमी और किसी पुनःआकलन या पट्टा उपान्तरणों को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि के पुनर्मापन द्वारा पट्टादेयता को मापित किया जाता है।

लाभ और हानि विवरणी में वित्तीय प्रभाओं को वित्तीय लागतों में निर्धारित किया जाता है, जब तक कि लागतों को अन्य अनुप्रयुक्त मानकों को उपयोजित करने वाली एक अन्य आस्ति के वहनीय राशि में समाविष्ट नहीं किए जाते हैं।



आस्ति के उपयोग का अधिकार आस्ति के उपभोगित व्यवहार के समय हासित हो जाता है, यदि पट्टा पट्टा अवधि की समाप्ति पर पट्टेदार को आस्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या यदि आस्ति के उपयोग के अधिकार के लागत को परावर्तित करता है कि पट्टेदार क्रय विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार आस्ति उपयोग अधिकार के उपभोगजन्य काल की समाप्ति या पट्टा निबंधन की समाप्ति के पूर्व आरंभ तिथि से आस्ति उपयोग अधिकार को हासित करेगा।

2.5.2 कंपनी यथा एक पट्टाकर्ता

समस्त पट्टा या तो एक क्रियाशील पट्टा या एक वित्तीय पट्टे जैसा है।

एक पट्टा यथा वित्तीय पट्टा वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित आस्ति के स्वामित्व के लिए आनुषांगिक समस्त जोखिम और पारिश्रमिक को सारतः हस्तांतरित करता है। पट्टा को यथा परिचालनात्मक पट्टा वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित आस्ति के स्वामित्व के आनुषांगिक समस्त जोखिम और पारिश्रमिक को सारतः हस्तांतरित नहीं करता है।

परिचालनात्मक पट्टा – परिचालनात्मक पट्टों से पट्टा संदाय को या तो एक सीधी कटौती के आधार पर यथा आय निर्धारित की जाती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पद्धति का अधिक प्रतिनिधित्व न हो जिसमें अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से प्रसुविधा कम हो जाती है।

वित्तीय पट्टा – पट्टा में निवल निवेश को मापने के लिए पट्टा में अव्यक्त व्याज दर का प्रयोग करते हुए पट्टा में निवल निवेश के समतुल्य राशि पर वित्तीय पट्टा के अधीन धारित आस्तियाँ प्रथमतः इसके तुलन-पत्र में निर्धारित किया जाता है और उसे यथा प्राप्य राशि दर्शाया जाता है।

2.6 विक्रय के लिए धारित अप्रचलित आस्तियाँ

कंपनी यथा विक्रय के लिए धारित अप्रचलित आस्तियाँ एवं (या व्ययन समुच्चय) को वर्गीकृत करती है यदि उसके वहनीय राशिवाँ सतत उपयोग के जरिए इसके बजाय विक्रय के जरिए मूलतः प्रत्युद्धारित किया जाएगा। विक्रय को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से प्रतीत होना चाहिए कि यह असंभाव्य है कि विक्रय में विशिष्ट परिवर्तन किए जाएँगे या विक्रय करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित विक्रय के लिए प्रबंधन को प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन प्रयोजनों के लिए, विक्रय लेन-देन अन्य अप्रचलित आस्तियों के लिए अप्रचलित आस्तियों के विनिमयों को समाविष्ट करता है जब विनिमय में वाणिज्यिक सत्व हो। विक्रय वर्गीकरण के लिए धारित के मानदंड को तभी पूर्ण समझा जाता है जब आस्तियाँ या व्ययन समुच्चय अपने वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल विक्रय के लिए उपलब्ध हो, ऐसे आस्तियों (या व्ययन समुच्चय) के लिए केवल निबंधनों के अधीन जो विक्रय के लिए प्रायिक और रुढ़िगत है, इसका विक्रय अत्यंत अधिसंभाव्य है; और यह सचमुच में विक्रेय किया जाएगा, अपरित्यक्त रखा जाएगा। कंपनी आस्तियों के विक्रय या व्ययन समुच्चय को अत्यंत अधिसंभाव्य मानती है जब :

- अ. प्रबंधन का उचित स्तर आस्ति (या व्ययन समुच्चय) के विक्रय के योजना के लिए प्रतिबद्ध हों,
- आ. किसी क्रेता की अवस्थिति जानने और योजना के फलीभूत होने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम आरंभ किया गया हो,
- इ. आस्ति (या व्ययन समुच्चय) को एक कीमत पर जो इसके वर्तमान उचित मूल्य पर युक्तियुक्त हो विक्रय के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा हो,
- ई. वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर यथा पूर्ण विक्रय निर्धारण के लिए विक्रय अर्हिति के लिए प्रत्याशित हो, और
- उ. योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से उपदर्शित होता है कि यह असंभाव्य है कि योजना में विशिष्ट परिवर्तन किए जाएँगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई)

ऐतिहासिक लागत पर भूमि को वहन किया जाता है। ऐतिहासिक लागत व्यय जो भूमि अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्षतः रोप्य जैसे, पुनर्वासन व्यय, पुनर्स्थापन लागत और संबद्ध विस्थापित व्यष्टियों के लिए उपगत भूमि के एवज में प्रतिकर आदि को समाविष्ट करता है।

निर्धारण के उपरांत, समस्त अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के वस्तु इनके लागत से किसी भी संचित मूल्यहास एवं किसी भी संचित क्षति हानियों को न्यून कर वहन की जाती है। किसी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मद की लागत समाविष्ट करती हैं :

- अ. व्यवसाय बट्टा और रिबेट की कटौती के उपरांत आयात शुल्क और अप्रतिदाय योग्य क्रय कर सहित इसका क्रय कीमत।

आ. प्रबंधन द्वारा आशातीत रूप में परिचालन समर्थ होने के लिए आस्ति को आवश्यक अवस्थिति और परिस्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्षतः रोप्य कोई लागत।

ई. वस्तु का विखण्डन एवं से निकालने और में अवस्थान पुनःस्थापन जिसपर अवस्थित है करने के लागतों का प्रारंभिक प्राक्कलन, दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो तब जब वस्तु अधिगृहीत किया जाता है या उस अवधि के दौरान वस्तुसूचियों को प्रस्तुत करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए एक विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप उपगत करती है।

लागत के साथ संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण के वस्तु का प्रत्येक भाग/पुर्जों जो पृथक्कृत: अवस्थित वस्तु के कुल लागत के संबंध में विशिष्ट है। तदपि, अवक्षयण प्रभार को अवधारित करने में समान उपभोजित व्यवहार और अवक्षयण विधि वाले पीपीई वस्तु के विशिष्ट पुर्जा (पुर्जों) को एकसाथ संयुक्त किया जाता है।

यथा 'मरम्मत और अनुरक्षण' के लिए वर्णित दैनंदिन परिचरण की लागतों को अवधि में जिसमें वही उपगत किया जाता है लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है।

विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वस्तु की कुल लागत के संबंध में विशिष्ट पुर्जों को निकालने का पाश्चिक लागत वहनीय राशि में निर्धारित किए जाते हैं, यदि यह अधिसंभाव्य है कि वस्तु के साथ सहयुक्त भविष्यत् आर्थिक प्रसुविधाएँ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगी; और वस्तु की लागत विश्वसनीयता के साथ मापन की जा सकती है। उन पुर्जों जो कि बदले गए हैं के वहनीय राशि निम्न उद्धृत अनिर्धारण नीति के अनुसार अनिर्धारित किया जाता है।

जब प्रमुख निरीक्षण निष्पादित किए जाते हैं, इसकी लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद के वहनीय राशि में यथा प्रतिस्थापन निर्धारित किए जाते हैं यदि यह अधिसंभाव्य है कि मद के साथ सहयुक्त आगामी आर्थिक प्रसुविधाएँ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगी; और मद की लागत विश्वसनीयता के साथ मापन की जा सकती है। पूर्व निरीक्षण के लागत का कोई शेष वहनीय राशि (भौतिक उपकरणों से यथा भिन्न) अनिर्धारित किया जाता है।

आस्ति के प्राक्कलित उपभोगजन्य काल में सीधी कटौती के आधार पर लागत प्रतिरूप के अनुसार, पट्टाधृति भूमि के सिवाय, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मूल्यहास यथा निम्न उपबंधित किया जाता है:

अन्य भूमि (पट्टाधृति भूमि)	:	परियोजना के सक्रियता काल या पट्टा अवधि जो भी कम हो
भवन	:	3-60 वर्ष
सड़क	:	3-10 वर्ष
दूरसंचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे पार्श्वस्थल	:	15 वर्ष
संयंत्र और उपस्कर	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालयीन उपस्कर	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपरि वर्णित उपभोगजन्य काल उस अवधि का सबसे अच्छा प्रस्तुतीकरण करता है जिसपर प्रबंधन आस्ति के उपभोग की प्रत्याशा करता है। अतएव आस्तियों का उपभोगजन्य काल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग-ग के अधीन यथा विहित उपभोगजन्य काल से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्ति का प्राक्कलित उपभोगजन्य काल को पुनर्विलोकित किया जाता है।

आस्ति के कुछ मदों यथा कोयला टब, कुंडलन रज्जु, हाउलेज रज्जु, भराटि पाइप और सुरक्षा बत्ती आदि के सिवाय संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवशिष्ट मूल्य को यथा आस्ति के मूल लागत के 5% प्रतिफलित किया जाता है जिसके लिए तकनीकी प्राक्कलित उपभोगजन्य काल को एक वर्ष तक कुछ नहीं अवशिष्ट मूल्य हो अवधारित किया जाता है।

वर्ष के दौरान परिवर्धित/निपटारित आस्तियों का मूल्यहास को परिवर्धन/निपटान के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर उपबंधित किया जाता है।

“अन्य भूमि” के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीर्घावधि हस्तांतरण आदि को समाविष्ट करता है जो परियोजना के शेष कार्यकाल के आधार पर परिशोधित किया जाता है; और पट्टाधृति भूमि के मामलों में ऐसे परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष कार्यकाल जो भी कम हो पर आधारित होते हैं।

पूर्णतः अवक्षयित आस्तियों, सक्रिय उपभोग से निवृत्त संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अधीन इसके अवशिष्ट मूल्य पर यथा सर्वेयड ऑफ आस्तियों को पृथकतः प्रकटन किए जाते हैं और क्षति के लिए जाँच किए जाते हैं।

निश्चित आस्तियों के सन्निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा उपगत पूँजी व्यय जो उत्पादन, मालों की आपूर्ति के लिए या कंपनी के किसी विद्यमान आस्तियों तक पहुँच के लिए आवश्यक है को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधीन यथा समर्थकारी आस्तियाँ निर्धारित किए जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानकों को संक्रमण

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानकों की तिथि को यथा वित्तीय विवरणी में यथा निर्धारित अपने समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, पूर्व सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार मापन किए गए, लागत प्रतिरूप के अनुसार वहनीय मूल्य के साथ जारी रखने का चयन किया।

2.8 खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार भूमि उद्धार एवं निर्मिति के अप्रवर्तन के लिए सतही और भूमिगत दोनों खदानों के व्यय पर कंपनी का दायित्व गठित होता है। कंपनी आवश्यक कार्य की विस्तृत संगणना, की राशि का तकनीकी मूल्यांकन एवं के निष्पादन में भविष्यत व्यय होने वाली नकदी का कालमापन के आधार पर खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार और अप्रवर्तन के लिए अपने दायित्व का प्राक्कलन करती है। अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार खान संवरण व्यय उपबंधित किया जाता है। मुद्रास्फीति से व्ययों के प्राक्कलन में वृद्धि होती है, और तब बट्टा दर पर भुनाई की जाती है जो धन का सामयिक मूल्य और जोखिमों के चालू बाजार मूल्यांकन को परावर्तित करता है, जैसे कि उपबंधित राशि दायित्व को निपटान के लिए आवश्यक प्रत्याशित के व्यय के वर्तमान मूल्य को परावर्तित करती है। कंपनी अंतिम पुनः उद्धार एवं खान संवरण के लिए देयता के साथ सहयुक्त तत्संबंधी आस्ति को अभिलेखित करती है। दायित्व और तत्संबंधी आस्तियों को उस अवधि जिसमें देयता उपगत होती है में निर्धारण किया जाता है। खान संवरण योजना के अनुसार आस्ति जो कुल स्थल पुनरुद्धार लागत (सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा यथा प्राक्कलित) को प्रस्तुत कर रही है को पीपीई में यथा पृथक मद निर्धारित किया जाता है और परियोजना/खान के शेष कार्यकाल के ऊपर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ प्रावधान का मूल्य यथा अकुंडलन भुनाई के प्रभाव से उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है जो वित्तीय व्यय के रूप में एक निर्धारित व्यय का सृजन कर रही है।

आगे, अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार इस प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट निलंब निधि खाता अनुरक्षित की जाती है।

संपूर्ण खदान संवरण दायित्व का भाग होने के आधार पर वर्ष प्रति वर्ष उपगत प्रगामी खान संवरण व्यय प्रारम्भ में निलम्ब खाता से यथा प्राप्य निर्धारित किया जाता है और तत्पश्चात उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि को प्रमाणकर्ता अभिकरणों की सहमति के उपरांत आहरित किया गया है।

2.9 गवेषण एवं मूल्यांकन आस्तियाँ

गवेषण और मूल्यांकन आस्तियाँ पूँजीकृत लागतों को समाविष्ट करता है जो कोयला एवं संबंधित संपदाओं की खोज के फलस्वरूप किए गए माने जाते हैं, परिलक्षित संपदा की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अवधारण के लंबित होने तक जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित समाविष्ट है :

- अ. गवेषण करने के अधिकारों का अर्जन;
- आ. ऐतिहासिक गवेषण आँकड़ों का अनुसंधान और विश्लेषण करना;
- इ. स्थलाकृतिक, भू-रासायन एवं भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से गवेषण आँकड़ों
- ई. गवेषक प्रवेधन, खंदकन और प्रतिचयन;

- उ. संपदा के परिमाण और श्रेणी का अवधारण और परीक्षण करना;
- ऊ. परिवहन और अवसंरचना आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- ए. बाजार एवं वित्त अध्ययनों का संचालन करना।

उपर्युक्त कर्मी पारिश्रमिक, सामग्रियों की लागत और खपत हुए ईंधन, संविदाकारों को संदाय आदि को समाविष्ट करता है।

यथा अमूर्त घटक उपगत हुए समग्र प्रत्याशित मूल्य लागतों के उपेक्षणीय/अविभेद्य अंश को व्यपदिष्ट करता है और भविष्यत् संदोहन से प्रतिपूर्ति किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूँजीकृत गवेषण लागतों के साथ यथा गवेषण एवं मूल्यांकन आस्ति अभिलेखित किए जाते हैं।

गवेषण एवं मूल्यांकन लागतों को परियोजना की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अवधारित होने तक परियोजन दर परियोजना के आधार पर पूँजीकृत किए जाते हैं और अप्रचलित आस्तियों के अधीन यथा पृथक् सीमा मद प्रकटन किए जाते हैं।

एक बार प्रमाणित निचय अवधारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना का विकास स्वीकृत हो जाते हैं तब गवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को प्रगतिशील पूँजीगत कार्य के अधीन “विकास” में स्थानांतरित किए जाते हैं। तदपि, यदि प्रमाणित निचय अवधारित नहीं किए जाते हैं तब गवेषण और मूल्यांकन आस्ति का अनिर्धारण किया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब प्रमाणित निचय अवधारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना का विकास स्वीकृत हो जाते हैं तब पूँजीकृत गवेषण एवं मूल्यांकन लागत सन्निर्माण के अधीन यथा आस्तियाँ निर्धारित किया जाता है और “विकास” शीर्ष के अधीन यथा पूँजी चालू कार्य घटक प्रकटन किया जाता है। समस्त पश्चातवर्ती विकास व्यय भी पूँजीकृत किए जाते हैं। विकास प्रावस्था के दौरान निष्कर्षित कोयले के विक्रय से आगमों का निवल पूँजीकृत विकास व्यय है।

वाणिज्यिक परिचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाए जाते हैं; जब किसी परियोजना/खान की वाणिज्यिक तैयारी संधारणीय आधार पर उत्पादन प्राप्ति के लिए या तो परियोजना प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट: विवरणित दशाओं के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं :

- अ. वर्ष के ठीक पश्चात् वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना निर्धारित क्षमता का 25% के वास्तविक उत्पादन को प्राप्त करती है, या
- आ. कोयले मिलने/कसौटी के 2 वर्ष तक, या
- इ. वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो।

जो भी घटना पहले घटित हो;

राजस्व में लाये जाने पर, पूँजी चालू कार्य के अधीन आस्तियाँ “अन्य खनन अवसंरचना” नाम के अधीन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के यथा घटक पुनःवर्गीकृत किए जाते हैं। अन्य खनन अवसंरचना उस वर्ष से, जब खान को 20 वर्षों या परियोजना कार्यकाल जो भी कम हो में राजस्व के अधीन लाया जाता है परिशोधित किए जाते हैं।

2.11 अमूर्त आस्तियाँ

पृथक्: अर्जित अमूर्त आस्तियों को लागत के प्रारम्भिक निर्धारण पर मापित किए जाते हैं। एक कारबार संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्तियों के लागत अर्जन की तिथि पर उनका उचित मूल्य है। प्रारम्भिक निर्धारण के पश्चात्, अमूर्त आस्तियों को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपभोगजन्य काल के उपर सीधी कटौती पद्धति पर संगणित) और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हो, को न्यून करके उस लागत पर ले जाए जाते हैं।

अंतःजनित अमूर्त, पूँजीकृत विकास लागतें रहित, पूँजीकृत नहीं किए जाते हैं। इसके स्थान पर, संबधित व्यय उस अवधि में जिसमें व्यय उपगत होता है को लाभ-हानि विवरणी और अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। अमूर्त आस्ति के उपभोगजन्य काल का मूल्यांकन या तो अपरिमित या अनिश्चित के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। अपरिमित काल के साथ अमूर्त आस्तियाँ उनके उपभोगजन्य आर्थिक काल के ऊपर परिशोधित किए जाते हैं और जब कभी उपदर्शन होता है कि अमूर्त आस्ति की क्षति हो सकती है तो क्षति के लिए मूल्यांकित किये जाते हैं। एक अपरिमित उपभोगजन्य काल के साथ अमूर्त आस्तियों के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति न्यूनातिन्यून प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में पुनर्विलोकन किए जाते हैं। प्रत्याशित उपभोगजन्य काल या आस्ति में सन्निहित भविष्यत् आर्थिक प्रसुविधाओं के उपभोग का प्रत्याशित स्वरूप में परिवर्तन, यद्योचित, परिशोधन अवधि या पद्धति के उपांतरण को प्रतिफलित किए जाते हैं।



और लेखांकन प्राक्कलन में यथा परिवर्तन व्यवहृत होते हैं। अपरिमित काल के साथ अमूर्त आस्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

एक अनिश्चितार्थ उपभोगजन्य काल के साथ अमूर्त आस्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है लेकिन प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर क्षति के लिए जाँच किया जाता है।

अमूर्त आस्तियों के अनिर्धारण से उद्भूत अभिलाभ या हानि को यथा आस्तियों के निवल निपटान कार्यवाहियों और वहनीय राशि के मध्य अंतर मापित किए जाते हैं तथा लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

यद्यपि, बाह्य अभिकरणों (सीआईएल के लिए निश्चित नहीं किए गए खण्डों के लिए) को विक्रय के लिए या बिक्री किए जाने के लिए परिलक्षित खण्डों के लिए रोप्य गवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को यथा अमूर्त आस्तियाँ वर्गीकृत किए जाते हैं और क्षति के लिए जाँच किए जाते हैं।

अनुसंधान और विकास यथा व्यय जैसे ही और जब उपगत होता है निर्धारित किया जाता है।

2.12 आस्तियों की क्षति (वित्तीय आस्तियों के बिना)

कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में यदि कोई उपदर्शन है कि आस्ति को क्षति हो सकती है मूल्यांकित करती है। यदि ऐसे उपदर्शन विद्यमान होते हैं, कंपनी आस्ति के प्रत्युद्धरणीय राशि का प्राक्कलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो तो कंपनी आस्ति के प्रत्युद्धरणीय राशि को अनुमानित करती है। एक आस्ति की प्रत्युद्धरणीय राशि प्रयुक्त में आस्ति या नकदी जनन इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्ति आस्ति के लिए अवधारित किया जाता है, जब तक कि आस्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि आस्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है, इस मामले में प्रत्युद्धरणीय राशि नकदी जनन इकाई जिससे आस्ति संबंधित है के लिए निर्धारित की जाती है। कंपनी क्षति के जाँच के प्रयोजनार्थ व्यक्ति खानों को यथा पृथक नकदी जनन इकाईयाँ प्रतिफलित करती है।

यदि आस्ति का प्राक्कलित प्रत्युद्धरणीय राशि इसके वहनीय राशि से कम है तो इसके प्रत्युद्धरणीय राशि के लिए आस्ति के वहनीय राशि घटाए जाते हैं और लाभ हानि विवरणी में क्षति हानि निर्धारित किया जाता है।

2.13 निवेशित संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) भाटक अर्जित करने के लिए या पूँजी अधिमूल्यन या दोनों के लिए धारण किया जाता है, उत्पादन या माल या सेवा की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजन के लिए; या कारबारों के सामान्य अनुक्रम के विक्रय में प्रयुक्त करने के बजाय, को यथा निवेशित संपत्ति वर्गीकृत किए जाते हैं।

निवेशित संपत्ति प्रारंभतः संबंधित लेनदेन लागतें और जहाँ उधारी लागतें लागू है अपने लागत पर मापन की जाती है।

निवेशित संपत्तियाँ अपने प्राक्कलित प्रयोज्य सक्रियता के ऊपर सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यहासित किए जाते हैं।

2.14 वित्तीय लिखत

एक वित्तीय लिखत कोई भी एक संविदा है जो एक निकाय की वित्तीय आस्ति और अन्य निकाय की वित्तीय देयता या साम्या लिखत को उत्पन्न करती है।

वित्तीय आस्तियाँ

2.14.1 आरंभिक निर्धारण एवं मापन

समस्त वित्तीय आस्तियों को प्रारंभतः उचित मूल्य पर, लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर अनभिलेखित वित्तीय आस्तियों के मामले में लेनदेन लागतों जो, वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण से रोप्य है के जोड़ से निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आतियों के क्रय या विक्रय जिसके लिए बाजार स्थल (नियमित तरीके से व्यवसाय) में विनिमय या अभिसमय द्वारा अधिस्थापित समय-सीमा के भीतर आस्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता होती है को व्यवसाय तिथि अर्थात् जिस तिथि पर कंपनी आस्ति के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्ध है पर निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.2 पाश्चिमात्य मापन

पाश्चिमात्य मापन के प्रयोजन से, वित्तीय आस्तियों को चार प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है :

- अ. परिशोधित लागत पर कर्ज लिखतें
- आ. अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर कर्ज लिखतें
- इ. लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर कर्ज लिखतें, व्युत्पन्नी और साम्या लिखतें
- ई. अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर साम्या लिखतों को मापन किए गए।

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

एक 'कर्ज लिखत' को परिशोधित लागत पर मापन किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों दशाएँ पूर्ण होती हैं:

- अ. आस्ति को एक कारबार प्रतिकार में धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए आस्तियों को धारण करना है, और
- आ. आस्ति के संविदात्मक निबंधन नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न करती है जिसके मूलधन और ब्याज का संदाय (एसपीपीआई) केवल बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारम्भिक मापन के पश्चात्, ऐसे वित्तीय आस्तियाँ तत्पश्चात् प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापन किया जाता है। अधिग्रहण पर किसी तरह के बट्टे या प्रीमियम और शुल्क या लागतें जो प्रभावी ब्याज दर का अनिवार्य भाग होता है को ध्यान में रखते हुए परिशोधित लागत को संगणित किया जाता है। लाभ या हानि में वित्त आय में प्रभावी ब्याज दर परिशोधन समाविष्ट किया जाता है। क्षति से उद्भूत हानियों को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर कर्ज लिखत

एफवीटीओसीआई पर यथा एक 'कर्ज लिखत' वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं

- अ. कारबार प्रतिकार का उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह को संगृहीत करने और वित्तीय आस्तियों को विक्रय के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- आ. आस्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई को व्यपदिष्ट करता है।

एफवीटीओसीआई प्रवर्ग में समाविष्ट कर्ज लिखतें प्रारंभतः के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदित पर उचित मूल्य पर मापन किए जाते हैं। उचित मूल्य संचलन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि, कंपनी लाभ व हानि विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानि व उत्क्रमण और विदेशी विनिमय अभिलाभ या हानि को निर्धारित करती है। आस्ति के अनिर्धारण पर, ओसीआई में पूर्व निर्धारित संचयी अभिलाभ या हानि को साम्या से लाभ व हानि विवरणी में पुनः वर्गीकृत किए जाते हैं। एफवीटीओसीआई कर्ज लिखत धारण करने के दौरान अर्जित ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए यथा ब्याज आय ज्ञापित किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर कर्ज लिखत

एफवीटीपीएल कर्ज लिखतों के लिए एक अवशिष्ट प्रवर्ग है। किसी कर्ज लिखत, जो यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर यथा प्रवर्गीकरण के लिए मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है, को यथा एफवीटीपीएल वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एफवीटीपीएल पर यथा कर्ज लिखत, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड पूर्ण करती है को अभिहित करने का चयन कर सकती है। तथापि ऐसे चयन केवल तभी अनुज्ञात किए जाते हैं जब ऐसा करने से मापन या अवधारण असंगति (लेखांकन असंतुलन के रूप में संदर्भित) कम होता है या दूर होता है। कंपनी ने किसी कर्ज लिखतों को यथा एफवीटीपीएल अभिहित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल प्रवर्ग में समाविष्ट कर्ज लिखतों को लाभ-हानि में निर्धारित समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किए जाते हैं।

2.14.2.4 अनुधुंगियों, सह एवं संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार (भारतीय लेखांकन मानक का प्रथमतः अंगीकरण), पूर्व जीएएपी (सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत) के अनुसार इन निवेशों के वहनीय राशि यथा पारगमन की तिथि पर समझी गई लागत माना जाता है। तत्पश्चात् अनुधुंगियों, सह-सदस्यों और संयुक्त उद्यमों में निवेश लागत पर मापन किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणी के मामले में, भारतीय लेखांकन मानक 28 के 10वें पारा में यथा विहित साम्या विधि के अनुसार सह-सदस्यों और संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश लेखांकित किए जाते हैं।

2.14.2.5 अन्य साम्या निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 की व्याप्ति में समस्त अन्य साम्या निवेश लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं।

समस्त अन्य साम्या लिखतों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में पश्चात्कर्तों परिवर्तनों के लिए एक अप्रतिसंहरणीय चयन कर सकती है। कंपनी इस तरह के चयन लिखत दर लिखत के आधार पर करती है। प्रारम्भिक निर्धारण पर वर्गीकरण किया जाता है और अप्रतिसंहरणीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई को यथा एक साम्या लिखत वर्गीकरण का निर्णय लेती है, तब लिखत में परिवर्तित समस्त उचित मूल्य, लाभांशों के सिवा, अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। निवेश की विक्रय पर भी अन्य व्यापक आय से लाभ-हानि विवरणी तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। तदपि, कंपनी साम्या के अंदर संचयी अभिलाभ या हानि को अंतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल प्रवर्ग के अंतर्गत समाविष्ट साम्या लिखतें लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं।

2.14.2.6 अनिर्धारण

एक वित्तीय आस्ति (या, जहाँ प्रयोज्य है, वित्तीय आस्ति का एक भाग या समरूप वित्तीय आस्तियों का एक समूह) को प्रधानतः अनिर्धारित किए जाते हैं (अर्थात् तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

अ. आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो चुका हो, या

आ. कंपनी ने आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के अधीन किसी तीसरे पक्षकार को तात्त्विक विलम्ब के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूर्णतः संदाय करने का दायित्व ग्रहण किया हो; और या तो (क) कंपनी ने आस्ति के समस्त जोखिमों और पारिश्रमिकों का सारतः हस्तांतरण किया हो, या (ख) कंपनी ने आस्ति के समस्त जोखिमों और पारिश्रमिकों का सारतः न तो हस्तांतरित किया हो न ही प्रतिधारित किया हो, बल्कि आस्ति के नियंत्रण को हस्तांतरित किया हो।

जब कंपनी किसी आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस विस्तार तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पारिश्रमिकों को प्रतिधारित किया है। जब इसने आस्ति के जोखिमों और पारिश्रमिकों को सारतः न तो हस्तांतरित किया है और न ही प्रतिधारित किया है, न ही आस्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है कंपनी कंपनी की सतत सहभागिता के विस्तार तक हस्तांतरित आस्ति को निर्धारण करना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी संबद्ध देयता का भी निर्धारण करती है। हस्तांतरित आस्ति और संबंधित देयता उस आधार पर मापित किए जाते हैं जो अधिकारों और दायित्वों जिसे कंपनी ने प्रतिधारित किया है को परावर्तित करता है। सतत सहभागिता जो हस्तांतरित आस्ति के ऊपर प्रत्याभूति का रूप लेती है आस्ति के मूल वहनीय राशि के निम्नतर पर मापन किया जाता है और प्रतिफल की अधिकतम राशि जिसे कंपनी को संदाय करने की आवश्यकता हो सकती है।

2.14.2.7 वित्तीय आस्तियों की क्षति (उचित मूल्य के बिना)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और साख जोखिम एक्सपोजर पर क्षति हानि के मापन और निर्धारण के लिए प्रत्याशित साख हानि (ईसीएल) प्रतिरूप को लागू करती है :

अ) वित्तीय आस्तियाँ जो कर्ज लिखतें हैं, और परिशोधित लागत अर्थात् ऋणों, कर्ज प्रतिभूतियों, जमाराशियों, व्यवसाय प्राप्तियों और बैंक में अतिशेष पर मापन किए जाते हैं

आ) वित्तीय आस्तियाँ जो कर्ज लिखतें हैं और एफवीटीओसीआई पर मापन किए जाते हैं

इ) लेखांकन मानक 116 के अधीन पट्टा प्राप्तियाँ

ई) व्यवसाय प्राप्तियाँ या नकदी या अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार जो लेनदेनों के परिणाम है और भारतीय लेखांकन मानक 115 की व्याप्ति के अंतर्गत है

कंपनी क्षति हानि भत्ता के निर्धारण के लिए अधोलिखित पर 'सरलीकृत उपागम' का अनुसरण करती है :

अ) व्यवसाय प्राप्तियाँ या संविदा राजस्व प्राप्तियाँ; और

आ) भारतीय लेखांकन मानक 116 के विस्तार के अंतर्गत लेनदेनों के परिणामतः समस्त पट्टा प्राप्तियाँ।

सरलीकृत उपागम का अभ्यावेदन के लिए कंपनी को साख जोखिम में परिवर्तनों पर नजर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर, इसकी प्रारंभिक निर्धारण से ही, आजीवन प्रत्याशित साख हानियों (ईसीएल) के आधार पर क्षति हानि भत्ता को निर्धारित करती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएँ

2.14.3.1 आरंभिक निर्धारण एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताएँ बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यवसाय एवं अन्य देय राशियों, ऋणों और उधारों को समाविष्ट करती हैं। समस्त वित्तीय देयताएँ प्रारंभतः उचित मूल्य पर और ऋणों एवं उधारों तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागतों पर निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.3.2 पाश्चात्तिक मापन

वित्तीय देयताओं का मापन उनके वर्गीकरण, यथा निम्न व्याख्यायित, पर निर्भर करता है :

2.14.3.3 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यवसाय के लिए धारित वित्तीय देयताओं और लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर यथा प्रारंभिक निर्धारण के ऊपर अभिहित वित्तीय देयताओं को समाविष्ट करती हैं। वित्तीय देयताओं को यथा व्यवसाय के लिए धारित वर्गीकृत किए जाते हैं यदि वे निकट अवधि में पुनः क्रय के प्रयोजनार्थ उपगत किए जाते हैं। इस प्रवर्ग में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्नि वित्तीय लिखतें भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा यथा परिभाषित बचाव संबंधों में बचाव लिखतों के रूप में अभिहित नहीं किया गया है। पृथक्-पृथक् अंतःस्थापित व्युत्पन्नि को भी यथा व्यवसाय के लिए धारित वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें यथा प्रभावी बचाव लिखतें अभिहित नहीं किया जाता है।

व्यवसाय के लिए धारित देयताओं पर अभिलाभ या हानियों को लाभ या हानि में

लाभ या हानि के जरिए प्रारंभिक निर्धारण में उचित मूल्य पर अभिहित वित्तीय देयताएँ निर्धारण के प्रारंभिक तिथि पर उसी रूप में अभिहित किए जाते हैं, और केवल तभी जब भारतीय लेखांकन मानक 109 में मानदंड तृष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में अभिहित देयताओं के लिए, अन्य व्यापक आय में अपने साख जोखिमों में परिवर्तन के लिए रोप्य उचित मूल्य अभिलाभ/हानि को निर्धारित किए जाते हैं। लाभ-हानि विवरणी में इन अभिलाभ/हानि को तत्पश्चात् अंतर्गत नहीं किए जाते हैं। तदुपरा, कंपनी साम्या के अंतर्गत संचयी अभिलाभ/हानि को अंतर्गत कर सकती है। ऐसे देयताओं के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर यथा किसी वित्तीय देयता को अभिहित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात्, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर प्रणाली का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापन किए जाते हैं। अभिलाभ और हानियाँ लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं जब देयताओं को अनिर्धारण करने के साथ-साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रणाली के जरिए किए जाते हैं। परिशोधित लागत की गणना अर्जन पर किसी भी बट्टा या प्रीमियम और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं को ध्यान में रखकर की जाती है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ-हानि विवरणी में यथा वित्त लागत समाविष्ट किया जाता है। यह प्रवर्ग सामान्यतः उधार पर लागू होती है।

2.14.3.5 अनिर्धारण

एक वित्तीय देयता को अनिर्धारित किया जाता है जब देयता के अधीन दायित्व का उन्मोचन या रद्द किया जाता है या पर्यवसित हो जाता है। जब उसी ऋणदाता से सारतः भिन्न निबंधनों पर एक विद्यमान वित्तीय देयता को अन्य से प्रस्थापित किया जाता है या विद्यमान देयता के निबंधन सारतः उपांतरित किए जाते हैं, ऐसे विनिमय या उपांतरण वास्तविक देयता के अनिर्धारण और नई देयता के निर्धारण की तरह व्यवहृत होते हैं। किसी अन्य पक्षकार को निर्वापित या अंतरित वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के भाग) की वहनीय राशि और कोई अंतरित गैर-नकदी आस्तियों या अवधारित देयताओं को समाविष्ट करते हुए संदत्त प्रतिफल के मध्य के अंतर को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाएंगे।

2.14.4 वित्तीय आस्तियों का पुनःवर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक निर्धारण पर वित्तीय आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात्, वित्तीय आस्तियाँ जो साम्या लिखतें और वित्तीय देयताएँ हैं के लिए पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय आस्तियों के लिए जो ऋण लिखतें हैं, उन आस्तियों के प्रबंधन के लिए कारबार प्रतिरूप में यदि कोई परिवर्तन है तो पुनःवर्गीकरण किया जाता है। कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन यदा-कदा होना प्रत्याशित माना जाता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन यथा बाह्य और आंतरिक परिवर्तन के परिणाम जो कंपनी के परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं निर्धारित करती है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षकारों के लिए सुव्यक्त होते हैं। कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन पाया जाता है जब कंपनी कोई गतिविधि जो इसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है



के कार्य-निष्पादन को या तो प्रारम्भ करती है या प्रविरत हो जाती है। यदि कंपनी वित्तीय आस्तियों को पुनःवर्गीकृत करती है, यह पुनःवर्गीकरण तिथि जो कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन का अनुगामी तत्काल अगले प्रतिवेदित अवधि का प्रथम दिवस है से भविष्यलक्षी रूप से पुनःवर्गीकरण लागू करती है। कंपनी किसी पूर्व निर्धारित अभिलाभों, हानियों (क्षति अतिलाभ या हानियाँ सहित) या ब्याज का पुनःकथन नहीं करती है।

निम्न तालिका नानाविध पुनःवर्गीकरण और उनका हिसाब कैसे लगाया जाता है को दर्शाती है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन सुविधा
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य पर मापन किया जाता है। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के मध्य का अंतर लाभ-हानि में निर्धारित किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहनीय राशि बन जाती है। नई वहनीय राशि के आधार पर प्रभावी ब्याज दर की संगणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य मापन किया जाता है। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के मध्य का अंतर अन्य व्यापक आय में निर्धारित किया जाता है। पुनःवर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य पर इसकी नई परिशोधित लागत वहनीय राशि बन जाता है। तदपि, अन्य व्यापक आय में संचित अभिलाभ या हानि उचित मूल्य के प्रतिकूल समायोजित किया जाता है। तत्पश्चात, आस्ति को मापित किया जाता है जहाँ तक, यह सदैव परिशोधित लागत पर मापित किया गया हो।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहनीय राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	आस्तियों को उचित मूल्य पर मापन किया जाना जारी है। अन्य व्यापक आय में निर्धारित पूर्व संचयी अभिलाभ या हानि को पुनःवर्गीकरण तिथि पर लाभ-हानि विवरणी में पुनःवर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय लिखत का प्रतितुलन

आस्तियों की प्राप्ति के साथ-साथ देयताओं के निपटान के लिए, वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय देयताओं को समंजन/प्रतितुलन किया जाता है और निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है यदि निर्धारित राशियों को समंजन/प्रतितुलन करने के लिए वर्तमान में प्रवर्तनीय विधिक अधिकार हो और निवल आधार पर निपटान करने का आशय हो।

2.14.6 नकदी एवं नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंकों और हाथ में नकदी तथा मूल परिपक्वता के तीन महीने या कम के साथ अल्पावधि जमाराशि, जो मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिमों के अध्वधीन है, समाविष्ट है। नकदी प्रवाह के समेकित विवरणी के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पावधि जमाराशियों, यथा उपरि परिभाषित, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है समाविष्ट है।

2.15 उधार लागत

उधार लागत को जैसे ही और जब उपगत होती है व्यय किया जाता है, सिवाय इसके कि जहाँ वे प्रत्यक्षतः अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए रोप्य होते हैं, अर्थात् वे आस्तियाँ जो इसके आशयित उपभोग के लिए तैयार रहने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समयावधि लेती है, इस मामले में उस तिथि तक जब अर्हक आस्ति इसके आशयित उपभोग के लिए तैयार हो उन आस्तियों के लागत के भाग के रूप में वे पूँजीकृत किए जाते हैं।

2.16 कराधान

आयकर व्यय तत्काल संदाय योग्य कर और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर-योग्य लाभ (कर हानि) की बाबत देय (अप्रतिसंहरणीय) आयकरों की राशि है। करयोग्य लाभ लाभ और हानि विवरणी तथा अन्य व्यापक आय में यथा ज्ञापित “आयकर पूर्व लाभ” से भिन्न होता है क्योंकि यह आय या व्यय के मदों को जो अन्य वर्षों में करयोग्य या कटौतीयोग्य है को अपवर्जित करता है और यह आगे के मदों को कभी भी करयोग्य या कटौतीयोग्य नहीं है को अपवर्जित करता है। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता कर को दरों जो प्रतिवेदित अवधि के अंत में अधिनियमित या विशेष्यतः अधिनियमित किया गया है का उपयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताएँ प्रायः समस्त कर-योग्य अस्थायी अंतर के लिए निर्धारित किए जाते हैं। आस्थगित कर आस्तियाँ प्रायः समस्त कटौती-योग्य अस्थायी अंतर उस विस्तार तक निर्धारित किए जाते हैं कि यह संभाव्य है कि कर-यो लाभ उपलब्ध होगा जिसके सहारे वे कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसी आस्तियाँ और देयताएँ निर्धारित नहीं किए जाते हैं यदि लेन-देन में सदिच्छा से या अन्य आस्तियों और देयताओं के प्रारम्भिक निर्धारण (कारबार संयोजन से भिन्न में) से अस्थायी असमानताएँ उद्भूत होती हैं जो ना तो कर-योग्य लाभ को ना ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करती है।

आस्थगित कर देयताएँ अनुषंगियों और एसोसिएटों में निवेशों के साथ सहयुक्त कर-योग्य अस्थायी असमानताओं के लिए निर्धारित किए जाते हैं, सिवाय जहाँ कंपनी अस्थायी असमानताओं के उलटाव को नियंत्रित करने के लिए समर्थ है और यह संभाव्य है कि अस्थायी असमानता पूर्वाभासी भविष्य में फिर से उलटाव नहीं होगा। ऐसे निवेशों और व्याजों से सहयुक्त कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों से उद्भूत हो रहे आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस विस्तार तक निर्धारित किए जाते हैं कि यह संभाव्य है कि पर्याप्त कर-योग्य लाभ होंगे जिसके सहारे अस्थायी अंतरों की प्रसुविधाएँ उपयोग किए जाएँगे।

आस्थगित कर आस्तियों के वहनीय राशि प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में पुनर्विलोकित किए जाते हैं और उस विस्तार तक अवनत किए जाते हैं कि यह अधिक संभावी नहीं हो कि समस्त या आस्ति के भाग का प्रत्युद्धरण किया जाना है को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में उस विस्तार तक अनिर्धारित आस्थगित कर आस्तियाँ पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं कि यह संभाव्य हो चुका है कि समस्त या आस्थगित कर आस्ति के भाग का प्रत्युद्धरण किया जाना है को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि जिसमें देयता निपटारित या आस्ति प्राप्त किए जाते हैं में संप्रयोजित करने के लिए प्रत्याशित होते हैं, कर दर (और कर विधियों) पर आधारित जो प्रतिवेदित अवधि के अंत तक अधिनियमित या विशेषतः अधिनियमित किये गए हैं।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन कर परिणामों को परावर्तित करते हैं जो उस रीति से अनुसारित होते हैं जिसमें कंपनी प्रतिवेदित अवधि के अंत में, इसके आस्तियों और देयताओं के वहनीय राशि के प्रत्युद्धरण या निपटान करने की प्रत्याशा करती है।

वर्तमान और आस्थगित कर लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं, सिवाय जब वे मदों से संबंधित होते हैं जो केवल अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्षतः साम्या में निर्धारित किए जाते हैं, जिन मामलों में, वर्तमान और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष साम्या में भी निर्धारित किए जाते हैं। जहाँ एक कारबार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर और आस्थगित कर उद्भूत होता है, कारबार संयोजन के लिए लेखांकन में कर प्रभाव समाविष्ट किया जाता है।

2.17 कर्मी प्रसुविधाएँ

2.17.1 अल्पावधि प्रसुविधाएँ

अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ कर्मी प्रसुविधाएँ हैं (पर्यवासन से भिन्न) है जो वार्षिक प्रतिवेदित अवधि जिसमें कर्मिगण संबद्ध सेवा प्रदान करते हैं की समाप्ति के पश्चात के 12 माह पूर्व पूर्णतः निपटारित किए जाने की प्रत्याशा है।

अवधि जिसमें कर्मियों द्वारा सेवाएँ दी जाती हैं में समस्त अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.2 नियोजनोपरांत प्रसुविधाएँ एवं अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक पक्ष-नियोजन प्रसुविधा योजना है जिसके अधीन कंपनी एक पृथक निकाय द्वारा अनुरक्षित निधि में नियत अंशदान का संदाय करती है और अगली राशि के संदाय के लिए कंपनी की कोई विधिक या आन्वयिक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व अवधि जिसके दौरान कर्मिगण द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं में लाभ और हानि विवरणी में यथा कर्मी प्रसुविधा व्यय निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.2.2 परिभाषित प्रसुविधाएँ योजना

परिभाषित प्रसुविधा योजना परिभाषित अंशदान योजना से भिन्न एक पक्ष-नियोजन प्रसुविधा योजना है। परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं की बावत कंपनी का निवल दायित्व आगत प्रसुविधा की राशि के प्राक्कलन द्वारा संगणना की जाती है जिसे कर्मी ने वर्तमान और पूर्वीक अवधि में अपनी सेवा के बदले उपाजित किया है। प्रसुविधा, यदि कोई हो, इसके वर्तमान मूल्य को अवधारित करने के लिए बट्टाकृत किया जाता है और योजना आस्तियों के उचित मूल्य द्वारा अवनत किया जाता है। बट्टा दर प्रतिवेदित तिथि को यथा भारत के सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होते हैं जिसकी कंपनी के दायित्वों के निबंधनों सन्निकटक परिपक्वता तिथि होती है और जिसे उसी मुद्रा में जिसमें प्रसुविधाएँ संदत किया जाना प्रत्याशित है मूल्यवर्गित किए जाते हैं।

बीमांकिक मूल्यांकन का आवेदन बढ़ा दर, आस्तियों पर प्रतिलाभ का प्रत्याशित दर, आगत वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के विषय में अवधारणाएँ निर्माण को अंतर्ग्रस्त करता है। इन योजनाओं के दीर्घावधि प्रकृति के कारण, ऐसे प्राक्कलन अनिश्चितताओं के अध्वधीन होते हैं। पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा प्रत्येक तुलन पत्र में संगणना संपादित किए जाते हैं। जब संगणना से कंपनी के प्रसुविधा को परिणाम आता है, निर्धारित आस्ति योजना से या योजना के लिए आगत अंशदान में कमी से किसी आगत प्रतिदायों के रूप में उपलब्ध आर्थिक प्रसुविधाओं के वर्तमान मूल्य के लिए सीमित की जाती है। कंपनी के लिए आर्थिक प्रसुविधा उपलब्ध होता है यदि यह योजना के कार्यकाल, या योजना देयताओं के निपटारण के दौरान वसूलीयोग्य होता है।

निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता का पुनर्माण, जो योजना आस्तियों पर प्रत्यागम (ब्याज रहित) और आस्ति सीमा (ब्याज रहित, यदि कोई हो) के प्रभावों को विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानियों को समाविष्ट करता है तत्काल अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी अवधि के दौरान निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) में किसी भी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यथा अंशदान और प्रसुविधा संदायों के परिणामस्वरूप, उस निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) को वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) को मापन करने के लिए प्रयुक्त बढ़ा दर के संप्रयोजन द्वारा उस अवधि के लिए निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

जब योजना की सुविधाएँ संबंधित की जाती हैं, कर्मियों द्वारा पूर्व सेवा से संबंधित वृद्धि हुई प्रसुविधाओं के भाग लाभ और हानि विवरणी में तत्काल यथा व्यय निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.3 अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ

अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाओं, पक्ष-नियोजन प्रसुविधाओं एवं पर्यवसान प्रसुविधाओं से भिन्न समस्त कर्मी प्रसुविधाएँ अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ हैं।

अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ उन मदों को समाविष्ट करती है जिसकी वार्षिक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति के पश्चात जिसमें कर्मिगण संबंधित सेवाएँ देते हैं के बारह माह पूर्व निपटारित न होने की प्रत्याशा की जाती है।

अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाओं के लिए, लाभ या हानि विवरणी में निम्नलिखित राशियों का निवल कुल निर्धारित किया गया है :

- अ. सेवा लागत
- आ. निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) पर निवल ब्याज
- इ. निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) का पुनःमापन

2.18 विदेशी मुद्रा

आर्थिक परिवेश की प्रधान मुद्रा होने की वजह से कंपनी की प्रतिवेदित मुद्रा और इसके बहुसंख्य संक्रिया के लिए प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (INR) में है जिसमें यह प्रचलित होती है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर परादेय विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर यथा प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरणियों में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं के निपटान से या उस दर से भिन्न दरों जिसपर आरंभिक निर्धारण पर परावर्तित की गई थी पर मौद्रिक आस्तियों और देयताओं के परावर्तित होने से उद्भूत विनिमय अंतरों को अवधि जिसमें वे उद्भूत हुए हैं में लाभ और हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

2.19 विपट्टन गतिविधि व्यय या समायोजन

खुली खदान खनन के मामले में, कोयले तक पहुँच तथा इसके निष्कर्षण के लिए खदान अपशिष्ट सामग्रियाँ ("उपरिभार") जो कोयला सीम के शीर्ष पर मृदा और शैल के रूप में होती है को अपसारित करने की आवश्यकता होती है। इस अपशिष्ट हटाव गतिविधि को यथा 'विपट्टन' माना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खान के सक्रिय प्रयोज्यता / जीवन्तता पर ऐसे व्यय उपगत करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

अतः, यथा नीति, एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाले खदानों में, खनन के पश्चात विपट्टन गतिविधि आस्ति और अनुपात -अंतर लेखा में राजस्व को लाया जाता है के लिए सम्यक समायोजन के साथ प्रत्येक खदानों में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत विपट्टन अनुपात (उपरिभार: कोयला) पर विपट्टन की लागत को भारित किया जाता है

तुलन-पत्र तिथि पर विपट्टन गतिविधि आस्ति एवं अनुपात अंतर के निवल शेष को यथास्थिति अप्रचलित प्रावधानों / अन्य अप्रचलित आस्तियों के मद् के अधीन यथा विपट्टन गतिविधि समायोजन दर्शित किया जाता है।

आलेखानुसार उपरिभार की प्रतिवेदित परिमाण को उपरिभार हटाव लेखांकन के लिए अनुपात संगणना में विचार किया जाता है, जहाँ प्रतिवेदित परिमाण और मापित परिमाण के बीच का अंतर अनुज्ञेय सीमा, यथा इसके अधीन वर्णित, के अंदर हो :-

खदान की उपरिभार का वार्षिक परिमाण	अंतर की अनुज्ञेय सीमा (%)
1 मि. घनमीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मि. घनमीटर के मध्य	+/- 3%
5 मि. घनमीटर से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहाँ अंतर अनुज्ञेय सीमाओं यथा उपर्युक्त से अधिक है, मापित परिमाण पर प्रतिफलित किया जाता है।

एक मिलियन टन से कम की निर्धारित क्षमता वाली खानों के मामले में, उक्त नीति उपयोजित नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान उपगत विपट्टन गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ और हानि के विवरणी में निर्धारित की जाती है।

2.20 वस्तुसूचियाँ

2.20.1 कोयला स्टॉक

कोयला/कोककारी की वस्तुसूचियाँ कम लागत और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर अभिकथित की जाती है। भारत औसत पद्धति का उपयोग करके वस्तुसूचियों के लागतों की संगणना की जाती है। निवल वसूलीयोग्य मूल्य वस्तुसूचियों के अनुमानित विक्रय कीमत से सभी अनुमानित पूरण लागतों और विक्रय करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर व्यपदेशन करता है।

बहीगत कोयला स्टॉक को खाता में विचार किया जाता है जहाँ बहीगत स्टॉक एवं मापित स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक है और जहाँ अंतर +/- 5% से अधिक है के मामले में मापित स्टॉक पर विचार किया जाता है। ऐसे स्टॉक निवल वसूलीयोग्य मूल्य या लागत जो कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है।

कोयला और कोककारी-सूक्ष्मक लागत या निवल वसूलीयोग्य मूल्य के कमतर पर मूल्यांकित और कोयला स्टॉक के अंश के रूप में प्रतिफलित किए जाते हैं। कर्दम (कोककर/अकोककर), वाशारियों का मिडलिंग और उपोत्पादों का निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और कोयला स्टॉक के अंश के रूप में विचार किया जाता है।

2.20.2 भण्डार एवं उपकरणों

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडारों में भण्डारों एवं उपकरणों (जिसमें खुदरा औजारों भी सम्मिलित है) के स्टॉक को समूल्य भण्डार बही में दर्शित शेष के अनुसार विचार किया जाता है और भारत औसत विधि के आधार पर संगणित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलिघरी/ उप-भण्डारों/ प्रवेधन कैम्पों/ उपभोगित केंद्रों में पड़े भण्डारों एवं उपकरणों की वस्तुसूची को प्रत्यक्षतः सत्यापित भण्डारों के अनुसार वर्ष की समाप्ति पर विचार किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोरों और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से अहस्तांतरित स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान बनाए गए हैं।

2.20.3 अन्य वस्तु-सूची

चालू कार्य सहित कर्मशालाएँ जब को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस जब के स्टॉक (चालू कार्य सहित) एवं स्टेशनरी तथा केंद्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ

प्रावधानों को निर्धारित किया जाता है जब कंपनी के पास विगत घटना के फलस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) होता है, और यह अधिसंभाव्य है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक प्रसुविधाओं के निर्गमन की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ धन का सामयिक मूल्य भौतिक है तब दायित्व के निपटान के लिए प्रत्याशित व्यय के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को अभिकथित किया जाता है।

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों का पुनर्विलोकन किए जाते हैं और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शित करने के लिए समायोजित किए जाते हैं। जहाँ यह अधिसंभाव्य नहीं होता है कि आर्थिक प्रसुविधाओं को निर्गमन की आवश्यकता होगी, या राशि को अनुमान स्थिरता से नहीं लगाया जा सकता है तब दायित्व को यथा आकस्मिक देयता प्रकटन किया जाता है, जबतक कि आर्थिक प्रसुविधाओं के निर्गमन की अधिसंभाव्यता दूरस्थ न हो। अधिसंभाव्य दायित्वों, जिसका अस्तित्व एक या अधिक भविष्यत् अनिश्चित घटनाओं जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न हो के घटित या अपघटित होने के द्वारा केवल सुनिश्चित किया जाएगा, उसे यथा आकस्मिक देयताएँ भी प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक प्रसुविधाओं का निर्गमन की अधिसंभाव्यता दूरस्थ न हो।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक आस्तियों को निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, जब आय की वसूली अर्थात: निश्चित होती है तब संबद्ध आस्ति एक आकस्मिक आस्ति नहीं होती है और इसका निर्धारण समुचित होती है।

2.22 अर्जन प्रति शेयर

प्रति शेयर मूल अर्जन अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयर के भारित औसत संख्या को करोपरांत निवल लाभ से विभाजित कर संगणना की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत अर्जन को मूल अर्जन प्रति शेयर को व्युत्पन्नित करने और भी साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या जो समस्त तनुकृत रूपक संभाव्य साम्या शेयरों के रूपांतरण के लिए निर्गत किए गए हैं से प्रतिफलित साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या को करोपरांत लाभ से विभाजित कर संगणना की जाती है।

2.23 निर्णय, प्राक्कलन एवं ग्रहण

भारतीय लेखांकन मानक के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरणी की निर्मिति में प्रबंधन को प्राक्कलनों, निर्णयों और ग्रहणों जो आस्तियों एवं देयताओं के लेखांकन नीतियों एवं प्रतिवेदित राशियों के अनुप्रयोग, वित्तीय विवरणी की तिथि पर आकस्मिक आस्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण तथा प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करती है के निर्माण करने की आवश्यकता होती है। जटिल और विषयपरक निर्णयों वाले लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में ग्रहणों के उपयोग का प्रकटन किया गया है। लेखांकन प्राक्कलन समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों और अंतर्निहित ग्रहणों का पुनर्विलोकन सतत आधार पर किया जाता है। अवधि जिसमें प्राक्कलन परिशोधित किए जाते हैं में लेखांकन प्राक्कलनों के लिए परिशोधनों को निर्धारित किए जाते हैं और, यदि तात्विक हो, इनके प्रभावों को वित्तीय विवरणियों के टिप्पणियों में प्रकटन किए जाते हैं।

2.23.1 निर्णय

कंपनी के लेखांकन नीतियों के संप्रयोजन की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं जिनका वित्तीय विवरणी में निर्धारित राशियों पर अति विशिष्ट प्रभाव है।

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निरूपण

लेखांकन नीतियाँ इस तरीके से विनिर्मित की जाती हैं कि, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेनों, अन्य घटनाओं और दशाओं के बारे में सुसंगत और विश्वसनीय संसूचना से युक्त वित्तीय विवरणी में परिणाम होता है जिन पर वे संप्रयोजित होते हैं। उन नीतियों को संप्रयोजित करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें संप्रयोजन करने का प्रभाव महत्वहीन हो।

भारतीय लेखांकन नीति की अनुपस्थिति में जो विनिर्दिष्ट: किसी लेनदेनों, अन्य घटनाओं या दशाओं के लिए संप्रयोजित होती है, प्रबंधन ने लेखांकन नीति के विकास और संप्रयोजन में अपना निर्णय प्रयोग किया है जो संसूचनाओं में यथा परिणाम देता है :

प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय-निर्माण जरूरतों के लिए सुसंगत और उस वित्तीय विवरणी में विश्वसनीय होता है :

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह को निष्ठापूर्वक व्यपदिष्ट करता है; (ii) लेनदेनों, अन्य दशाओं और घटनाओं के आर्थिक उपादान को परावर्तीत करती है और केवल विधिक रूप को नहीं; (iii) तटस्थ रहता है, अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त; (iv) प्रबुद्ध होता है और (v) अविरोध आधार पर समस्त तात्विक विषयों में पूर्ण होते हैं।

निर्णय निर्माण में, प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों की संप्रयोज्यताओं को निर्दिष्ट और विचार करती है :

अ. एक समान और संबंधित विवादकों की कार्यवाही में भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताएँ।

आ. रूपरेखा में आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय के लिए परिभाषाएँ, निर्धारण मानदंड और मापन संकल्पना।

निर्णय निर्माण में, प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की हाल की घोषणा को प्रतिफलित करती है और इसके अनुपस्थिति में उन अन्य मानक-समायोजक निकायों के जो उस विस्तार तक लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्यम प्रथाओं को विकसित करने के लिए समरूप संकल्पित रूपरेखा का प्रयोग करते हैं जो उपर्युक्त पैरामेट्रों के साथ संघर्ष नहीं करते हो।

कंपनी खनन सेक्टर में संचालन करती है (जहाँ गवेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरणों दशकों से चालू अवधि वाले पट्टा में विस्तृत विविध स्थलाकृति और भूखननीय भूभाग पर आधारित हैं), विगत कई दशकों से इसके अविरोध अनुप्रयोगों के ऋणी होते हुए अनुसंधान समितियों द्वारा आलंबित एवं विभिन्न विनियामकों द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीतियों जिसका विशिष्ट उद्देश्य प्रथाओं पर आधारित होता है को विकसित किया गया है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन, और मानकों की अनुपस्थिति में जो उत्क्रमण की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के क्रम में लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और उसमें किसी भी विकास को विशेष रूप से भारतीय लेखांकन मानक 8 में ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से हिसाब लगाया जाएगा।

वित्तीय विवरणियों को लेखांकन के उपचय आधार का प्रयोग करते हुए चालू समुत्थान आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.23.1.2 तात्विका

भारतीय लेखांकन मानक मर्दों के लिए जो तात्विक है को संप्रयोजित करता है। प्रबंधन निर्णय का उपयोग यह विनिश्चित करने में करता है कि क्या व्यष्टि मद या मदों के समूह वित्तीय विवरणों में तात्विक हैं। मद की प्रकृति या महता या दोनों के संदर्भ द्वारा तात्विकता को परखा जाता है। विनिश्चयन कारक यह है कि क्या किसी संसूचना को लोप या मिथ्या कथन या अस्पष्ट करना वैयक्तिक रूप से या अन्य संसूचना के संयोजन में उन निर्णयों जो प्राथमिक उपभोक्ताएँ वित्तीय विवरणों के आधार पर निर्मित करते हैं को संयुक्त रूप से प्रभावित कर सकता है। भारतीय लेखांकन मानक के आवश्यकता अनुरूप अवधारित करने के लिए प्रबंधन तात्विकता के निर्णय का भी प्रयोग करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को विधि द्वारा आवश्यक होने पर पृथक्: अतात्विक मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधियों से संबंधित वर्तमान वर्ष में खोजी गई भूलें/चूकें यथा अतात्विक माने जाते हैं और वर्तमान वर्ष में समायोजित किए जाते हैं, यदि कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल मिलाकर समस्त ऐसी भूलें और चूकें परिचालन से कुल राजस्व के 1% से अधिक नहीं होती हो।

2.23.2 प्राक्कलन एवं ग्रहण

प्रतिवेदित तिथि पर प्राक्कलन अनिश्चितता के आगत और अन्य प्रमुख स्रोतों के मद्दे प्रमुख ग्रहणों, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं के वहनीय राशि के वास्तविक समायोजन के कारण एक विशिष्ट जोखिम है, नीचे वर्णित है। जब समेकित वित्तीय विवरणों की विनिर्मिति किए जाते थे तब कंपनी ने उपलब्ध मापदण्डों पर अपने ग्रहणों और प्राक्कलनों को आधारित किया। आगत विकास को लेकर विदद्यमान परिस्थितियों और ग्रहणों, यद्यपि बाजार परिवर्तनों या उद्भूत परिस्थितियों, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर होते हैं, के कारण परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब वे घटित होते हैं ग्रहणों में परावर्तित होते हैं।

2.23.2.1 गैर-वित्तीय आस्तियों की क्षति

हानि का एक उपदर्शन है यदि, किसी आस्ति या नकदी जनन इकाई का वहनीय मूल्य उसकी प्रत्युद्धरणीय राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य से अधिक है, निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के प्रयोजन के लिए व्यष्टि खानों को यथा पृथक् नकदी जनन इकाइयों प्रतिफलित करती है। संगणना में प्रयुक्त मूल्य एक डीसीएफ प्रतिरूप पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से लिया गया है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू के आस्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। प्रत्युद्धरणीय राशि डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त बड़ा दर के साथ-साथ बहिर्वेशन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त प्रत्याशित भावी नकदी-अंतर्वाह और वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचना के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। भिन्न-भिन्न सीजीयू के लिए प्रत्युद्धरणीय राशि अवधारित करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ग्रहणों का प्रकटन किया गया है और आगे संबंधित टिप्पणियों में व्याख्या किया गया है।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर आस्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस विस्तार तक निर्धारित की जाती है कि यह अधिसंभाव्य है कि कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध हानियों की उपयोगिता सिद्ध की जा सकती है। संभावित समय और भविष्य के कर-योग्य लाभ के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर योजना रणनीतियों के आधार पर, आस्थगित कर आस्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.23.2.3 परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ

परिभाषित प्रसुविधा योजना और अन्य पक्ष-नियोजन चिकित्सा प्रसुविधाओं की लागत और दायित्वों का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न ग्रहणों को सृजित करना सम्मिलित है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें बड़ा दर, भविष्यत् वेतन वृद्धि और मृत्यु दर के निर्धारण सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में सम्मिलित जटिलताओं के कारण, एक परिभाषित प्रसुविधा दायित्व इन ग्रहणों में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर सभी ग्रहणों की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अध्यधीन मापदंड बड़ा दर है। भारत में परिचालित परियोजनाओं के लिए उचित बड़ा दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन पक्ष-नियोजन प्रसुविधा दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों को प्रतिफलित करती है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में अंतराल पर ही उन मृत्यु दर तालिकाओं में परिवर्तन होता है।

2.23.2.4 वित्तीय लिखत का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में अभिलेखित वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर उचित मूल्य मापित नहीं किए जा सकते हैं, डीसीएफ प्रतिरूप को समाविष्ट करते हुए सामान्यतः स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए उनके उचित मूल्य मापन किया जाता है। जहाँ संभव हो संप्रक्षेप योग्य बाजारों से इन प्रतिरूपों की निविष्टियाँ ली जाती हैं, लेकिन जहाँ यह साध्य नहीं है, उचित मूल्यों के स्थापन में निर्णय की प्रास्थिति की आवश्यकता होती है। निर्णयों में निविष्टियों के प्रतिफलों जैसे कि चलनिधि जोखिम, साख जोखिम, अस्थिरता और अन्य सुसंगत निविष्टि/प्रतिफल को समाविष्ट करती है। इन कारकों के बारे में ग्रहणों और प्राक्कलनों में परिवर्तन वित्तीय लिखतों के प्रतिवेदित उचित मूल्य को प्रभावित करती है।

2.23.2.5 विकास के अधीन अमूर्त आस्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार परियोजना के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्ति को पूँजीकृत करती है। लागतों का प्रारम्भिक पूँजीकरण प्रबंधन के निर्णयों पर आधारित होता है जिसका तकनीकी और आर्थिक साध्यता पुष्ट किया जाता है, प्रायः तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन विनिर्मित और अनुमोदित की जाती है।

2.23.2.6 खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व के लिए प्रावधान

खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व के लिए उपबंध के उचित मूल्य के निर्धारित करने में, ब्याज दरों, स्थल पुनरुद्धार एवं निराकरण के प्रत्याशित लागत और उन लागतों के प्रत्याशित समय के संबंध में ग्रहणों और प्राक्कलनों को सृजित किए जाते हैं। कंपनी निम्न पर आधारित परियोजना/ खदान के कार्यकाल को विचार करते हुए डीसीएफ पद्धति का प्रयोग कर उपबंधों को प्राक्कलित करती है।

- कोयला मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर प्राक्कलित लागत,
- भारत सरकार
- बट्टा दर (पूर्व कर दर) जो मुद्रा का सामयिक मूल्य और देयता के विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को परावर्तित करता है।

2.24 प्रयुक्त संक्षेपाक्षर

अ.	सीजीयू	नकदी जनन इकाई
आ.	डीसीएफ	बट्टागत नकदी प्रवाह
इ.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
ई.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य
उ.	जीएएपी	सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत
ऊ.	भा. ले. मा.	भारतीय लेखांकन मानक
क्र.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
ए.	पी&एल	लाभ और हानि
ऐ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर
ओ.	एसपीपीआई	मूल और ब्याज
औ.	इआईआर	प्रभावी ब्याज दर